न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान् "न्याय आपके द्वार–2018"
(उपखण्ड अधिकारी) गढी
पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 140/2016

उनवान

कुरिया पिता देवा, जाति बलाई निवासी साकरिया, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: वा

बनाम

1. ताजेंग पिता नाथु बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. रमण पिता नाथु बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
3. राजु पिता नाथु बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
4. रामेंग पिता रूपा बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
5. कचरा पिता कालिया बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
6. जगदीश पिता कालिया बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
7. श्रीमति मनू बेवा कालिया बलाई, निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
8. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: प्रतिवा

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक 18/5/20

(1) संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एंव प्रतिवादीगण के मूल पुरूष हिरा पिता क जाति बलाई निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिा बांसवाड़ा की वंशावली निम्नानुसार है:–

हिरा पिता कोदर, जाति बलाई, निवासी साकरिया

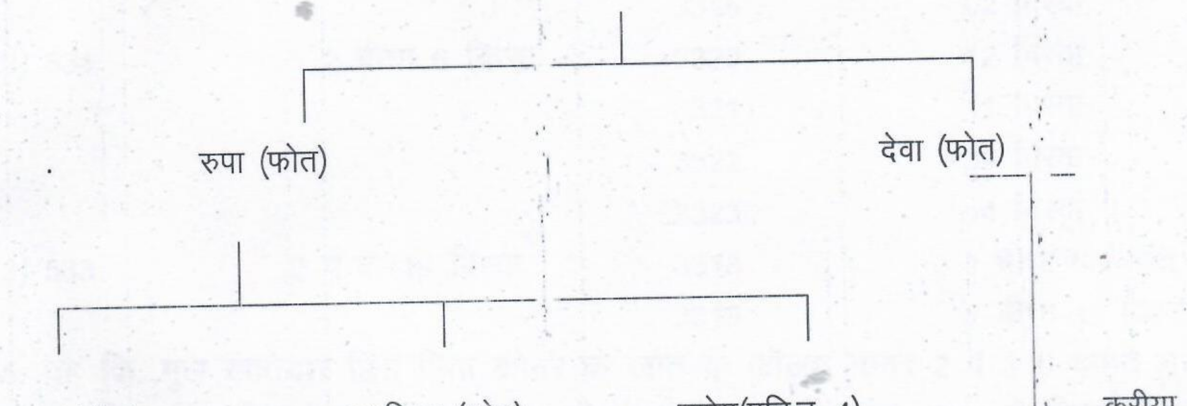


(2) यह कि उक्त वंशावली के मूल पुरुष हिरा पिता कोदर, जाति बलाई, निवासी सा

| | |
|---|---|
| (1) 503 | |
| (2) 504 | 2 बीघा 6 बिस्वा |
| (3) 507 | 3 बीघा 2 बिस्वा |
| (4) 1362 | 3 बीघा 8 बिस्वा |

**कुल खेत 4 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा है।**

**(3)** यह कि उक्त कॉलम नम्बर 2 में बताई गई कृषि भूमि मूल पुरूष हिरा की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र वारिस व उत्तराधिकारी देवा व रूपा के नाम से संवत 1999 में पट्टा लैण्ड रेकार्ड रियासत बांसवाडा में खाता दर्ज रेकार्ड किया गया एंव कॉलम नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि के निम्नलिखित सर्वे नम्बर बनेः–

| **पुराने सर्वे नम्बर** | **रकबा** | **नये सर्वे नम्बर** | **रकबा** |
|---|---|---|---|
| (1) 507 | 3 बीघा 2 बिस्वा | 538 | 1 बीघा 7 बिस्वा |
| | | 537 | 1 बीघा 15 बिस्वा |
| (2) 503 | 2 बीघा 19 बिस्वा | 533 | 2 बीघा 19 बिस्वा |
| (3) 504 | 2 बीघा 6 बिस्वा | 534 | 2 बीघा 6 बिस्वा |

(4) यह कि उक्त पट्टा लैण्ड रेकार्ड में बताये सर्वे नम्बरान् के संवत 2032 मे निम्नलिखित नये सर्वे नम्बर बनेः–

| पुराने सर्वे नम्बर | रकबा | (नये सर्वे न.) | रकबा |
|---|---|---|---|
| 1) 538 | 1 बीघा 7 बिस्वा | 3329 | 14 बिस्वा |
| | | 3339 | 10 बिस्वा |
| | | 3349 | 03 बिस्वा |
| 537 | 1 बीघा 15 बिस्वा | 3328 | 1 बीघा 3 बिस्वा |
| | | 3340 | 10 बिस्वा |
| | | 3348 | 02 बिस्वा |
| 2) 534 | 2 बीघा 6 बिस्वा | 3320 | 12 बिस्वा |
| | | 3321 | 11 बिस्वा |
| | | 3322 | 09 बिस्वा |
| | | 3323 | 14 बिस्वा |
| 3) 533 | 2 बीघा 19 बिस्वा | 3318 | 1 बीघा 6 बिस्वा |
| | | 3319 | 1 बीघा 13 बिस्वा |

5. यह कि, मुल खातेदार हिरा पिता कोबर के खाते के कॉलम नम्बर 2 व 3 में बताये गये नम्बर की कृषि भूमि संवत् 2032 के बाद तीसरे सेटलमेन्ट में सवत् 2044 मे निम्नलिखित नम्बर बने है :–

| (पुराने सर्वे नम्बर) | रकबा | (नये सर्वे नम्बर) | रकबा |
|---|---|---|---|
| 3329 | 14 बिस्वा | 2833 | 0.14 हे. |
| 3349 | 03 बिस्वा | 2793 | 0.06 हे. |
| 3347 | 05 बिस्वा | | |
| 3328 | 1 बीघा 3 बिस्वा | 2834 | 0.22 हे. |
| 3348 | 02 बिस्वा | 2792 | 0.01 हे. |
| 3320 मी. | 12 बिस्वा | 2847 | 0.08 हे. |
| 3323 मी. | 11 बिस्वा | 2848 | 0.07 हे. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3319 | 1 बीघा 13 बिस्वा | 2843 | 0.26 है. |

6. यह कि, प्रतिवादीगण और वादी मूल पुरुष हिरा के उत्तराधिकारी और वारिस है तथा उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा दोनो पक्षो का अर्थात वादी और प्रतिवादीगण का बराबर–बराबर अर्थात वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादीगण का 1/2 भाग हिस्सा निहित है।

7. यह कि रुपा पुत्र हिरा के पुत्र नाथु, रामेग है जो वंशावली मे बताये है जिसमे कालिया पिता रुपा की मृत्यु होने से कालिया के वारिस कचरु जगदीश व श्रीमति मनु है, जो प्रतिवादी संख्या 5,6,7 है। जिनका उक्त खेतो मे नाम दर्ज रेकार्ड हुआ है तथा रुपा के अन्य पुत्र नाथु की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रतिवादी संख्या 1,2,3 वारिस व उत्तराधिकारी है, परन्तु उनका खाते मे नाम दर्ज नही हुआ है, परन्तु वह स्व. नाथु के वारिस होने से एवं उक्त भूमि मे उनका हिस्सा होने से उन्हे प्रतिवादी की श्रेणी मे रखा गया है।

8. यह कि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज और पिताओ ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उक्त खाते की जमाबंदी मे सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियो से मिलकर सेटलमेन्ट संवत् 2032 मे श्री रुपा के बाद नाथु, कालिया व रामेग के नाम निम्नलिखित सर्वे नम्बर दर्ज रिकार्ड कर लिये है :–

| | सर्वे नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 1– | 3318 | 1 बीघा 6 बिस्वा |
| 2– | 3319 | 1 बीघा 13 बिस्वा |
| 3– | 3320 | 12 बिस्वा |
| 4– | 3321 | 11 बिस्वा |
| 5– | 3322 | 9 बिस्वा |
| 6– | 3323 | 14 बिस्वा |
| 7– | 3328 | 1 बीघा 3 बिस्वा |
| 8– | 3348 | 2 बीस्वा |

कुल खेत नंग–8 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा

एवं वादी जो कि मूल पुरुष हिरा के दुसरे पुत्र देवा का एकमात्र पुत्र वादी है एवं उसके खाते मे संवत् 2032 मे निम्नलिखित खेत दर्ज रेकार्ड किये गये है।

| | सर्वे नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 1– | 3329 | 14 बिस्वा |
| 2– | 3347 | 5 बिस्वा |
| 3– | 3349 | 3 बिस्वा |

कुल खेत नंग–3 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा

इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान संवत् 2032 मे गलत तरिके से गैर कानूनन मूल पुरुष हिरा की कृषि भूमि मे से 6 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी व उसके पूर्वजो व पिताओ ने गैर कानूनी तरीके से अपने नाम खाता दर्ज करवा लिया है और वादी के नाम मात्र 1 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड की गई है, जबकि उक्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का बराबर–बराबर 1/2 भाग का हिस्सा निहित है एवं जिस खाते